<u>न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर</u>

<u>निगरानी/टीए/359/2003/नागौर</u>

भीकम चन्द पुत्र श्री भंवर लाल जाति ब्राहमण निवासी ईदावड हाल निवासी खाखडकी तहसील मेडता जिला नागौर

प्रार्थी

<u>बनाम</u>

1.नेमी चन्द पुत्र भंवर लाल जाति ब्राहमण निवासी ईदावड हाल निवासी राणावास मरूधर केसरी सीनियर हायर सेकण्ड्री स्कूल राणावास जिला पाली

2. धनेश चन्द पत्र श्री भंवर लाल ब्राहमण निवासी ईदावड तहसील मेडता जिला नागौर

3. अमर चन्द पुत्र श्री बंशी लाल ब्राहमण निवासी ईदावड हाल निवासी पावन ब्रोकर नम्बर 39 गांधी स्ट्रीट बलाचरी चेन्नई–42

4. प्रकाश चन्द पुत्र बंशी लाल जाति ब्राहमण निवासी ग्राम इदावड तहसील मेडता जिला नागौर

5. रामनिवास पुत्र श्री बंशी लाल जाति ब्राहमण निवासी ईदावड तहसील मेडता जिला नागौर

6. मेघराज पुत्र श्री बंशी लाल जाति ब्राहमण निवासी ईदावड हाल निवासी पावन ब्रोकर नम्बर 17 पुलियार बोईल स्ट्रीट तरमणी चेन्नई–113

अप्रार्थीगण

एकल पीठ
श्री मनोज कुमार नाग सदस्य

<u>उपस्थित</u>

श्री जी.एस.लखावत अभिभाषक प्रार्थी

श्री योगेन्द्र सिंह अभिभाषक अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक

1. यह निगरानी राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के निर्णय दिनांक 26–10–2002 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955(संक्षेप में अधिनियम) की धारा 230 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 1 नेमीचन्द ने उपखण्ड अधिकारी मेडता के न्यायालय में एक वाद घोषणा खातेदारी व विभाजन का प्रार्थी व अन्य अप्रार्थीगण के विरूद्ध वाद पत्र में अंकित आराजी के बाबत प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया। उक्त वाद दिनांक 22–5–99 को एकतरफा में डिक्री कर दिया। जिसके विरूद्ध प्रार्थी ने आदेश 9 नियम 13 जाब्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र एकतरफा डिक्री को निरस्त करने हेतु प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने उभय पक्षकारान की बहस सुनने के पश्चात अपने निर्णय दिनांक 20–11–2000 से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया। इससे व्यथित होकर प्रार्थी ने राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 26–10–2002 से अपील खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर यह निगरानी मण्डल के समक्ष पेश की गई है।

3. उभय पक्षकारान के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने निगरानी मीमो में अंकित तथ्यों को बहस के दौरान दोहराते हुये तर्क प्रस्तुत किया कि प्रार्थी को जिस दिन नोटिस की तामील होना बताया गया है उक्त दिवस को प्रार्थी ग्राम ईदावड में नहीं था बल्कि वह ग्राम खाखडकी में कार्यरत था। इस सम्बन्ध में प्रार्थी ने प्रमाण पत्र भी अधीनस्थ न्यायालय के

समक्ष प्रस्तुत कर दिया था। प्रार्थी का नोटिस उसके आबाद मकान पर चस्पा किया जाना पूर्णतया विधि विपरीत है क्योंकि प्रार्थी उक्त दिवस पर अन्यत्र अपनी डयूटी पर था तथा प्रार्थी की पत्नी का पूर्व में ही स्वर्गवास हो चुका है, अन्य कोई बालिग व्यक्ति आवास पर नहीं था। इसके अलावा न्यायालय का आदेश भी प्रतिस्थापित तामील बाबत नहीं था न ही तामील कुनिन्दा द्वारा सशपथ यह कथन किया गया है। जिन व्यक्तियों ने गवाह के रूप में हस्ताक्षर किये हैं वे वादी नेमीचन्द से मिले हुये थे। इसलिये वादी को वाद की किसी प्रकार की जानकारी होना नहीं माना जा सकता। इसलिये विचारण न्यायालय द्वारा पारित एकतरफा निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य है। अपने कथन के समर्थन में आर आर डी 2001 पेज 494,आर आर डी 2004पेज 201, आर बी जे(14)2007पेज 549, आर बी जे(20)2013पेज 296 की नजीरें पेश की।

5. जबाब में अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 नेमीचन्द ने जो वाद प्रस्तुत किया था उसमें प्रतिवादी भीकमचन्द को दिनांक29–1–96 की पेशी के लिये दिनांक 14–12–95 को सम्मन जारी हुआ था। उस पर मौतविर प्रकाश चन्द व रामनिवास जो प्रतिवादी थे, की रिपोर्ट है कि आसामी नोटिस लेने से इन्कार हुआ तो आबाद मकान पर चस्पा किया गया। इसलिये तामील मानी जावेगी। उक्त निर्णय के विरूद्ध रामनिवास ने भी आदेश 9 नियम 13 जाब्ता दीवानी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जो खारिज हुआ जिसके विरूद्ध अपील प्रस्तुत होने पर अपील नोट प्रेस में खारिज हुई थी। उनका तर्क है कि एक पक्षीय डिक्री को आदेश 9 नियम 13 जाब्ता दीवानी के तहत तभी निरस्त किया जा सकता है जब या तो प्रतिवादी पर सम्मन की तामील नहीं हो या तामील के बाबजूद वह

पेशी पर आने में असमर्थ हो। इस प्रकरण में ऐसा नहीं है। सम्मन की तामील में कोई अनियमितता हो भी एकतरफा डिक्री को निरस्त नहीं किया जा सकता है। यदि सम्मन की तामील फर्जी होती तो प्रार्थी विचारण न्यायालय के समक्ष गवाह प्रकाश चन्द तथा रामनिवास के हलफनामे पेश कर सकता था कि उनके द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये गये थे। जिस दिन भीकमचन्द के सम्मन पर लेने से इन्कार की रिपोर्ट की गई है उसी दिन प्रतिवादी रामनिवास व प्रकाश के सम्मन भी तामील हुये हैं। उनके द्वारा भीकम चन्द के सम्मन पर हस्ताक्षर किये गये हैं और तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट है कि आसामी नोटिस लेने से इन्कार है, अतः आबाद मकान पर चस्पा किया गया। जो विधिसम्मत है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष हैं जिनमें निगरानी के स्तर पर हस्तक्षे नहीं किया जाना चाहिये। अतः निगरानी खारिज योग्य है।

6. हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का भी ससम्मान अवलोकन कर मार्गदर्शन प्राप्त किया।

7. इस प्रकरण में मुख्य रूप से निर्णायक बिन्दु यह है कि प्रार्थी भीकम चन्द पर सम्मन की तामील विधिवरूप से हुई अथवा नहीं। विचारण न्यायालय की पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन करने पर यह स्थिति स्पष्ट होती है कि प्रार्थी प्रतिवादी ने सम्मन लेने से इन्कार किया था। इस आशय की तामील कुनिन्दा की रिर्पोट की पुष्टि इस वाद के प्रतिवादी प्रकाश चन्द व रामनिवास के द्वारा सम्मन पर किये गये हस्ताक्षरों से होती है। प्रतिवादी रामनिवास व प्रकाश चन्द के सम्मन भी उसी दिन तामील हुये हैं जो वादग्रस्त आराजी के सहखातेदार हैं। प्रार्थी वाद में प्रतिवादी होने से उनका हित भी प्रार्थी भीकम चन्द के साथ था। अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी ने उपस्थिति प्रमाण पत्र पेश

किये है वे प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत न करके बाद में पेश किये गये हैं। इसके अतिरिक्त यह भी विचारणीय है कि इसी वाद के प्रतिवादी रामनिवास ने विचारण न्यायालय के समक्ष एकतरफा निर्णय व डिक्री को निरस्त कराने के लिये आदेश 9 नियम13 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जो दिनांक 20–11–2000 को खारिज किया गया है। जिसके विरूद्ध रामनिवास ने राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की थी जो नोट प्रेस में खारिज हुई है। इन सब तथ्यों को मध्य नजर रखते हुये विचारण न्यायालय ने विस्तृत विवेचन कर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 जाब्ता दीवानी को खारिज किया है जिसकी अपीलीय न्यायालय ने भी पुष्टि की है। इसलिये दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्षो से हम सहमत है। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों के तथ्य एवं वर्तमान प्रकरण के तथ्यों में भिन्नता होने के कारण इस प्रकरण पर पूर्ण रूप से चस्पा नहीं होते हैं। निगरानी का दायरा सीमित होता है। अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों में निगरानी के स्तर पर तभी हस्तक्षेप किया जा सकता है जब कि अधीनस्थ न्यायालयों ने क्षेत्राधिकार सम्बन्धी कोई त्रुटि की हो अथवा विधि की व्याख्या करने में भूल की हो। इसलिये यह निगरानी खारिज योग्य पाई जाती है।

8. उपरोक्त विवेचन के अनुसरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार नाग)
सदस्य